न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 158/2013
अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती सीतादेवी आयु 70 वर्ष धर्मपत्नी श्री प्रेमनाथ, अरोड़ा, धींगड़ा स्ट्रीट, वार्ड संख्या 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
2. अरविन्द,
3. संदीप,
4. अनिल एव
5. राजेश आत्मजन स्व. श्री प्रेमनाथ, अरोड़ा, धींगड़ा स्ट्रीट, वार्ड संख्या 16, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

.....वादीगण

बनाम

1. मोहनसिंह आत्मज श्री ज्ञानसिंह, तरखान सिख, गांव कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थिति– श्री दिनेश छाबड़ा (वादीगण)
श्री सुभाष मिढ़ा (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांक 17 सितम्बर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 1 बी. बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, किला नम्बर 18 से 23 कुल 12.00 बीघा वादीगण के पति/पिता श्री प्रेमनाथ एवं उनके तीन भाईयों कमशः श्री रतनलाल, सोमनाथ एवं श्री सुशीलकुमार को उनके पिता श्री रामनारायण से विरासतन प्राप्त हुई थी जिसमें श्री प्रेमनाथ का 1/4 हिस्सा अर्थात 3.00 बीघा हिस्सा है जिसके घरू बंटवारा में मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1, 10 व 11 श्री प्रेमनाथ को हिस्सा में प्राप्त हुआ. मुरब्बा नम्बर 58 पूर्व में मुरब्बा नम्बर 60 था जो परिवर्तित होकर मुरब्बा नम्बर 58 दर्ज हुआ. जिसे श्री पंजीबद्व (कार्यालय उप पंजीयक, श्रीगंगानगर के पुस्तक–I कम संख्या 106 के पृष्ठ संख्या 269 से 271) विकय विलेख दिनांक 07 जुलाई, 1980 को प्रतिवादी संख्या 1 को विकय कर दी गयी. किन्तु वादीगण के पिता स्व. श्री प्रेमनाथ द्वारा अपने मुरब्बा नम्बर 52 की कृषि भूमि का विकय कभी कसी भी अभिलेख से किसी को भी नहीं किया गया. चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1 से 25 स्व. श्री प्रेमनाथ आत्मज श्री रामनारायण की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसमें से किला नम्बर 2 से 9, किला नम्बर 12, 13(0.10) कुल 9.10 बीघा अपने जीवनकाल में ही पंजीबद्व वसीयत द्वारा अपने भाई की पत्नी श्रीमती सरोजरानी धर्मपत्नी श्री रतनलाल को अन्तरित कर दी गयी थी. जिसके आधार पर नामान्तरकररण संख्या 291 दिनांक 4 जनवरी, 2008 दर्ज हो चुका है. इस प्रकार चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10, 11, 13(0.10), किला नम्बर 14 से 25 कुल 15.10 बीघा कृषि भूमि के

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादीगण बतौर वारिस खातेदार हैं. प्रतिवादी संख्या 1 अत्यन्त चालाक एवं होशियार किसम का व्यक्ति होने के कारण राजस्व अधिकारियों से साजबाज कर बिना वादीगण अथवा श्री प्रेमनाथ को सूचना दिये कानून की अवहेलना में चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि का राजस्व अभियान में दिनांक 28 जून, 2000 को अपने नाम से एकपक्षीय नामान्तरकरण करवा लिया जबकि चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि का स्व. श्री प्रेमनाथ अथवा वादीगण द्वारा कभी भी विक्रय नही किया गया वरन मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 का ही विक्रय किया गया है. और इस विक्रय विलेख के आधार पर प्रतिवादी संख्या मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 का ही नामान्तरकरण अपने नाम से करवाने का अधिकारी है. ऐसे फर्जी, साजिशी एवं विधि विरूद्व नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. तथा वादीगण नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 को चुनौती देकर निरस्त करवाने के अधिकारी हैं. दिनांक 07 जुलाई, 1980 को ही वादीगण के पति/पिता श्री प्रेमनाथ के भाई श्री सोमनाथ आत्मज श्री रामनारायण ने अपने पिता से विरासतन प्राप्त मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 2, 9 एवं 12 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 के भाई श्री कतरसिंह आत्मज श्री ज्ञानसिंह को पंजीबद्व विक्रय विलेख द्वार किया गया था. श्री कतरसिंह ने मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 2, 9 एवं 12 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमें मुरब्बा नम्बर 60/58 दर्ज है. जिससे यह प्रमाणित होता है कि मुरब्बा नम्बर 60/58 की 3.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय किया गया था तथा प्रतिवीसंख्या 1 मुरब्बा नम्बर 60/58 की 3.00 बीघा कृषि भूमि का ही नामान्तरकरण करवाने का अधिकारी है. मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विधि विरूद्व दर्ज किये गये नामान्तरकरण एवं जमाबन्दी में प्रविष्टि निरस्त किये जाने योग्य है. यद्यपि तीन तीन बीघा के बैयनामा फ्रेगमेन्ट नियमों से हिट होते हें तथा विक्रय की अनुमति के बिना नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किये जा सकते. प्रतिवादी संख्या 1 को किये गये विक्रय दिनांक 07 जुलाई, 1980 को धारा 24 डी.डी.डी.डी. राजस्थान काश्तकारी नियमों के अन्तर्गत नियमित करवाकर ही मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवा पाने का अधिकारी है. चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10, 11, 13(0.10), किला नम्बर 14 से 25 कुल 15.10 बीघा कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा बतौर वारिसान खातेदार साधिकार मौका पर चला आ रहा है एवं मौका पर वादीगण की फसल काश्तशुदा है. पानी की बारी का उपयोग एवं राज्य सरकार को मामला की अदायगी वादीगण द्वारा ही की जाती है. श्री प्रेमनाथ की मृत्योपरान्त जब वादीगण द्वारा विरासतन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने की कार्यवाही की गयी तब वादीगण को जानकारी प्राप्त हुई कि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 185 दिनांक 28 अगस्त, 2000 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साजिशाना तौर पर अपने नाम से राजस्व अधिकारियों के साथ साजिश कर स्वीकृत करवा लिया है जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को स्वयं मिलकर निवेदन किया कि उनके पिता द्वारा प्रतिपदी संख्या 1 को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60/58 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है. जबकि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय नही किया गया है. इसलिये अपने नाम पर करवाये गये नामान्तरकरण को दुरूस्त करवाकर मुरब्बा नम्बर 60/58 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा के विक्रय दिनांक 07 जुलाई, 1980 को नियमित करवाकर अपने नाम से अंकन करवाने की कार्यवाही करें किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व अभिलेखों में अन्य भूमि अपने नाम पर दर्ज होने के कारण लालचवश दिनांक 26 मई, 2008 को स्पष्ट तौर पर इन्कार हो गया. यही वादकरण वादीगण को उपलब्ध है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भी वादीगण के आवेदन पर बिना न्यायालय के आदेशों के संशोधन करने से इन्कार कर दिया गया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व भी वाद प्रस्तुत करने का हेतुक उपलब्ध है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा संशोधन करवाने से इनकार करने के साथ साथ धमकी दी गयी है कि वह या तो जबरन मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा के नामान्तरकरण के आधार पर विक्रय कर देगा. यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी. इसलिये वादीगण द्वारा अपने विधि अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं. वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा एवं संशोधन जमाबन्दी का वाद प्रस्तुत कर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा की बाबत राजस्व अभिलेखों में संशोधन करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित करवाकर अपने नाम से अंकन करवा पाने के विधिक अधिकारी हैं क्योंकि मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय प्रतिवादी संख्या 1 को किया ही नही किया गया है. इस प्रकार वादीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 अगस्त, 2000 निरस्त कर मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा की सीमा तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम अंकित करने एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व गलत राजस्व अभिलेखों अथवा नामान्तरकरण संख्या 186 के आधार पर चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा पर वादीगण के कब्जा काश्त में अनावश्यक हस्तक्षेप करने, बंधक विक्रय अथवा अन्य किसी भी तरीका से अन्तरित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2064-2067, जमाबन्दी सम्बत् 2056, नामान्तरकरण संख्या 187, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 07 जुलाई, 1980, जमाबन्दी सम्बत् 2035-2038, मिलान क्षेत्रफल मौजा 1 बी बडी एवं पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 07 जुलाई, 1980 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से तथा प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 25 मार्च, 2008 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 चालाक एवं होशियार किसम का व्यक्ति नहीं इसके विपरीत ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण ऐसे आवश्य हैं जिनके द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. नामान्तरकरण नियमानुसार एवं श्री प्रेमनाथ की सहमति से ही किया गया है तथा यह तथ्य नामान्तरकरण सम्बन्धी पत्रावली से ही ज्ञात हो जायेगा. वादीगण द्वारा जिन 3.00 बीघा का विक्रय प्रतिवादी

संख्या 1 के भाई को किये जाने का उल्लेख किया गया है, से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध एवं वास्ता नहीं है. यदि विक्रय विलेख प्रमाणित नही हो सकता था तो सिविल न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये थी जो नहीं दी गयी. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दिनांक 28 जून, 2000 को दर्ज किया गया है तत्समय श्री प्रेमनाथ भी मौजूद था जिसकी सहमति से ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है. तथा नामान्तरकरण के विरूद्व नियमानुसार अपील नहीं की गयी है. वादीगण जिस भूमि के विक्रय का उल्लेख किया जा रहा है उस भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम पर दर्ज किया गया है अथवा नहीं, के वादीगण से साक्ष्य लिये जावे. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काउण्टर क्लेम दिनांक 18 अगस्त, 2009 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में वादीगण के पति/पिता स्व. श्री प्रेमनाथ द्वारा चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60/58 का घरू बंटवारा व हिस्सा में किला नम्बर 1, 10 एवं 11 विक्रय विलेख दिनांक 07 अगस्त, 1980 द्वारा विक्रय किया गया जिसे वादीगण बाखूबी मानते हैं चूंकि श्री प्रेमनाथ के नाम से राजस्व अभिलेखों में विक्रय विलेख के पंजीकरण के समय 3.00 बीघा कृषि भूमि दर्ज नहीं थी. उनके नाम से जमाबन्दी सम्बत् 2056 के खाता संख्या 25/24 के 0.379 हैक्टर अर्थात 1.10 बीघा ही दर्ज थी इसलिये विक्रय विलेख के बाद इस 1.10 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज किया गया तथा शेष 1.10 बीघा की एवज में मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण प्रतिवादी के नाम से दिनांक 28 जून, 2000 को दर्ज किया गया. जो आज भी यथावत एवं प्रभावी है. वादीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण निरस्त कर वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के लिये वादपत्र प्रस्तुत किया गया है. वादीगण इस तथ्य को स्वयं मानते हैं कि मृतक श्री प्रेमनाथ द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 07 जुलाई, 1980 द्वारा चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय विक्रय किया गया. जिसमें 1.10 बीघा का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जा चुका है तथा शेष 1.10 बीघा का नामान्तरकरण शेष है.यदि वादीगण 1.10 बीघा का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर करवाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को देते हैं तो प्रतिवादी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा के प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये नामान्तरकरण को परित्याग कर देगा. न्यायहित में यदि काउण्टरक्लेम स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है तो दोनों पक्षकारों की हकरसी होगी एवं वाद बाहुल्यता से भी बचा जा सकता है. इस प्रकार काउण्टर क्लेम स्वीकार कर मृतक श्री प्रेमनाथ द्वारा विक्रय विलेख दिनांक 07 जुलाई, 1980 द्वारा चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय विक्रय किया गया. जिसमें 1.10 बीघा का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जा चुका है तथा शेष 1.10 बीघा का राजस्व अभिलेखों में कियान्वयन कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 को दिलाया जाकर वादीगण को मुरब्बा नम्बर 52

के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

1. क्या वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में स्व. श्री प्रेमनाथसिंह के नाम दर्ज थी. ....**वादीगण**
2. क्या आवेदिका के पिता स्व. श्री प्रेमनाथ द्वारा मुरब्बा नम्बर 52 की कृषि भूमि का बेचान नहीं किया गया ? ....**वादीगण**
3. क्या चक नम्बर 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11, 13(0.10), 14 से 25 कुल 15.10 बीघा के वादीगण खातेदार हैं.? .....**वादीगण**
4. क्या चक नम्बर 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण दिनांक 28 जून, 2000 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सही दर्ज किया गया है? ...**प्रतिवादी–1**
5. क्या प्रतिवादी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 60/58 की 3.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1, मुरब्बा नम्बर 60/58 के 3.00 बीघा का नामान्तरकरण करवाने का अधिकारी है. ...**वादीगण**
6. क्या वादीगण नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 को वाद के माध्यम से चुनौती देकर निरस्त करवा पाने के अधिकारी हैं. ....**वादीगण**
7. क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं .....**वादीगण**
8. क्या नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 सही तस्दीक किया गया है? ...**प्रतिवादी–1**
9. क्या प्रतिवादी संख्या 1 काउण्टर क्लेम में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? ..**प्रतिवादी–1**
10. अनुतोष ?

विवाद्यकों के विनिश्चित हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री अनिलकुमार द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु जिरह हेतु उपस्थित नहीं आने के कारण दिनांक 12 मई, 2014 द्वारा साक्षी वादी की उपस्थित एवं जिरह हेतु अन्तिम अवसर दिया गया जिसके बावजूद भी साक्षी द्वारा उपस्थित आकर जिरह नहीं किये जाने के परिणामता: दिनांक 18 सितम्बर, 2014 को साक्षी वादी की जिरह एवं साक्ष्य वादी बन्द की गयी. तथा अभिलेख– चक 1 बी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067 (प्रदर्श–1), चक 1 बी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067 (प्रदर्श–2), चक 1 बी बड़ी की जमाबन्दी सम्बत् 2056 (प्रदर्श–3), नामान्तरकरण संख्या 186(प्रदर्श–4), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 (प्रदर्श–5), चक 1 बी बड़ी की जमाबन्दी

सम्बत् 2025–2028 (प्रदर्श–6), मिलान क्षेत्रफल मौजा चक 1 बी बड़ी(प्रदर्श–7), दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 (प्रदर्श–8), कार्यालय ग्राम पंचायत, कोठा(चक 2 बी बड़ी) द्वारा पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009, (प्रदर्श–ए.1) प्रदर्श करवाये गये.

वादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 18 मार्च, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद में साक्ष्य वादी स्वरूप श्री अनिलकुमार द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया तथा पत्रावली जिरह हेतु निश्चित की गयी. वाद के विचारणकाल मेकं पक्षकारान में राजीनामा की बात चलने के कारण एवं पूर्व में हुऐ राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 को लागू करने हेतु पक्षकारान के मध्य बातचीज प्रारम्भ होने के कारण साक्षी श्री अनिलकुमार जिरह हेतु उपस्थित नहीं आ सकता जिसके परिणामता: माननीय न्यायालय द्वारप दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को जिरह बन्द करते हुऐ साक्ष्य वादी बन्द कर दी गयी. वादीगण के विधिक हक वाद के माध्यम से निर्धारित किये जाने हैं एवं साक्ष्य जिरह हेतु उपस्थित न आ पाने की अहम मजबूरी रही है. चूंकि वाद में आयन्दा कोई कार्यवाही नहीं हुई ऐसी स्थिति, वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है. इस प्रकार वादीगण द्वारा साक्ष्य वादी खोले जाकर जिरह करवाये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 28 मई, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदनपत्र में अंकित तथ्य गलत तथा आवेदनपनत्र को रंग देने के लिये झूठे अंकित तिये गये हैं बल्कि वादी को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2013 से निरन्तर 17 मौके दिये जाने के बाद ही साक्ष्य वादी बन्द की गयी है. वादी की अहम मजबूरी क्या रही है, की बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये गये. माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 18 दिसम्बर, 2014 को चुनौती दी गयी है जो अन्तिम हो चुका है. इसलिये साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वीकृति वादीगण को नहीं दी जा सकती. वादीगण को अधिवक्ता का पत्र कब प्राप्त हुआ? कोई दिनांक अंकित नहीं की गयी, इस कारण भी पर आवेदनपत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोंपरान्त आदेश दिनांक 29 जून, 2015 द्वारा न्यायहित के दृष्टिकोण से आवेदनपत्र रूपये 500.00 कॉस्ट पर स्वीकार किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मय शपथपत्र दिनांक 20 अगस्त, 2015 अन्तर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार जिरह के दौरान वादी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 की पानी की पर्ची वादीगण के नाम जारी शुदा है. तथा वादीगण के पास ही है. तथा पानी की पर्ची काबिज व्यक्ति को ही दी जाती है. पानी की पर्ची एवं प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व जो राज्य सरकार को अदा किया जा रहा है, की पर्चियां, वाद के निस्तारण एवं कब्जा के तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु वादीगण से न्यायालय में प्रस्तुत करवायी जानी आवश्यक हैं. इस प्रकार वादी को चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 की पानी की पर्ची तथा राजस्व अदा करने की प्रचियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया ताकि अभिलेख प्रस्तुत होने पर साक्ष्य वादी पूर्ण करवायी जा सके.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादीगण अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2015 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार दिनांक 20 अगस्त, 2015 को साक्ष्य वादी द्वारा जिरह में यह कथन किये गये कि पानी की पर्ची मेरे नाम से है. जिस पर अभिभाषक द्वारा जिरह में प्रश्न किया गया कि कल पानी की पर्ची पेश कर सकते हो. तब वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गयी कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिरह के समय साक्षी को आदेश दिया जावे. जिरह केवल इस बिन्दु पर रोक दी गयी कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है केवल गवाह से पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों पर ही जिरह की जा सकती है अथवा ऐसा कोई अभिलेख जो गवाह से सम्बन्धित हो, उसे प्रस्तुत कर जिरह की जा सकती है. आदेश 11 नियम 12 व 14 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान वर्तमान स्तर पर लागू नहीं होते हैं. प्रावधान अलग अलग हैं एवं इस सम्बन्ध में जिरह के समय कोई आदेश गवाह को नहीं दिया जा सकता है. विचाराधीन आवेदनपत्र आदेश 11 नियम 12 व 14 व्यवहार प्रकिया संहिता की परिधि में नहीं आता है. प्रतिवादी यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो सम्बन्धित विभाग से सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकता है अथवा अपने साक्ष्य में अपने साक्षी को तलब का अभिलेख सहित प्रस्तुत किया जा सकता है. इस प्रकार आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 19 अक्तूबर, 2015 द्वारा आवेदनपत्र अस्वीकर किया गया.

साक्षी वादी के उपस्थित आने पर दिनांक 7 जनवरी, 2016 को जिरह की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही किये जाने के परिणामतः दिनांक 22 फरवरी, 2016 को अन्तिम अवसर, दिनांक 8 मार्च, 2016 को न्यायहित में पुनः राशि 200.00 कॉस्ट पर अन्तिम अवसर तथा दिनांक 21 मार्च, 2016 को विशेष आग्रह एवं न्यायहित में पुनः राशि कुल 300.00 कॉस्ट पर अन्तिम अवसर दिया गया.

प्रतिवादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 4 अप्रेल, 2016 अन्तर्गत आदेश 14नियम 5 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में काउण्टर क्लेम भी प्रस्तुत किया गया है किन्तु विवाद्यकों के निर्धारण के समय काउण्टर क्लेम में प्रस्तुत की गयी आपत्तियों के अनुसार विवाद्यक निर्धारित नहीं किया गया. जिससे वादपत्र का सही निर्णय होना सम्भव नहीं है. इसलिये आवश्यक नये विवाद्यकों का निर्धारण किया जाकर साक्ष्य ली जानी आवश्यक है जिससे प्रतिवादी को सही न्याय मिल सके. इस प्रकार प्रकरण में काउण्टर क्लेम में प्रस्तुत आपत्तियों के परिदृश्य ही सही विवाद्यकों का निर्धारण किये जाने का निवेदन किया गया. वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये तथा युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आवेदनपत्र स्वीकार किया गया तथा प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित संशोधित विवाद्यक निर्धारित किये गये –

1. क्या वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में स्व. श्री प्रेमनाथसिंह के नाम दर्ज थी.
...वादीगण

2. क्या आवेदिका के पिता स्व. श्री प्रेमनाथ द्वारा मुरब्बा नम्बर 52 की कृषि भूमि का बेचान नहीं किया गया? ....वादीगण

3. क्या चक नम्बर 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11, 13(0.10), 14 से 25 कुल 15.10 बीघा के वादीगण खातेदार हैं.? .....**वादीगण**

4. क्या चक नम्बर 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण दिनांक 28 जून, 2000 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सही दर्ज किया गया है? ...**प्रतिवादी–1**

5. क्या प्रतिवादी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 60/58 की 3.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1, मुरब्बा नम्बर 60/58 के 3.00 बीघा का नामान्तरकरण करवाने का अधिकारी है. ...**वादीगण**

6. क्या वादीगण नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 को वाद के माध्यम से चुनौती देकर निरस्त करवा पाने के अधिकारी हैं. ....**वादीगण**

7. क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ...**वादीगण**

8. क्या नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 सही तस्दीक किया गया है? ...**प्रतिवादी–1**

9. क्या प्रतिवादी संख्या 1 काउण्टर क्लेम में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? ..**प्रतिवादी–1**

10. क्या प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पति/पिता श्री प्रेमनाथ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 7 जुलाई, 1980 की पालना में चक 1 बी बड़ी मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल तीन बीघा जिसमें से 1½ बीघा का नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है तथा शेष 1½ बीघा का नामान्तरकरण करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसके परिणामतः प्रतिवादी संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1,10 एवं 11 के नामान्तरकरण का परित्याग करने के लिये पाबन्द होंगे? ...**प्रतिवादी–1**

11. अनुतोष ?

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री मोहनसिंह द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिससे जिरह की गयी.

वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 को उपस्थित आकर वादी संख्या 1 की दिनांक 7 अक्तूबर, 2017 को मृत्यु होने तथा मृतका के वारिसों का पत्रावली पर पूर्व से ही वादी संख्या 2 से 5 स्थापित होने के कारण वादी संख्या 1 के नाम के समक्ष मृतक अंकित करने के कथन हस्ताक्षरित किये गये जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः वादी संख्या 1 श्रीमती सीतादेवी के नाम के साथ मृतक अंकित किया गया.

प्रतिवादी की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 27 मार्च, 2017 अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में विवाद चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10, 11 एवं मुरब्बा नम्बर 60/58 के किला नम्बर 2, 9, 12 के विक्रय बाबत विचाराधीन है. वादपत्र के प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत अनिलकुमार द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 45 दिनाक 19 मार्च, 2009 अन्तर्गत धारा 420, 467, 471 एवं 120 बी भा.द.सहिता पुलिस थाना हिन्दूमलकोट में प्रतिवादी के विरूद्व दर्ज करवायी गयी. तत्पश्चात, पंचायत द्वारा पक्षकारान में राजीनामा करवा दिया गया जिसमें ग्राम पंचायत कोठा के लेटर हैड पर राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 को तहरीर किया गया जिसके अनुसार निश्चित किया गया कि 1.10 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण रह गया है. प्रतिवादी वादी को 25,000.00 रूपये अदा करने पर वादी प्रतिवादी के पक्ष में करवा देंगे. राजीनामा के आधार पर दाण्डिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी. जिसकी बाबत प्रतिवादी अपनी अज्ञानता एवं कानून की जानकारी नही होने के कारण अपने अधिवक्ता को नहीं बता पाया इस कारण महत्वपूर्ण अभिलेख माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके. इन अभिलेखों की जानकारी प्रतिवादी के पुत्र द्वारा अपने अधिवक्ता को करवायी गयी जिस पर बिना किसी विलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदनपत्र के साथ अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं. सम्बन्धित अभिलेख फर्जी बनाये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है. तथा अभिलेखों से न्याय करने में मा. न्यायालय को सहयोग ही मिलेगा. अतः सलंग्न अभिलेख पत्रावली पर लिये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009, अनिल धींगड़ा द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना, हिन्दूमलकोट के समक्ष प्रस्तुत आवेदनपत्र मय शपथपत्र दिनांक 11 अगस्त, 2009, प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 45 दिनाक 19 मार्च, 2009 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 28 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद पत्रावली मे दिनांक 7 जनवरी, 2016 को साक्ष्य वादी पूर्ण होकर दिनांक 19 जनवरी, 2016 साक्ष्य प्रतिवादी हेतु निश्चित की गयी. दिनांक 8 मार्च, 2016 को साक्ष्य प्रतिवादी हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने पर प्रतिवादी की ओर से आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिस के विनिश्चित के परिणामतः दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को संशोधित विवाद्यक निर्धारित किये गये. तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा दो अवसर लेने के बाद प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 को जिरह की जाकर साक्ष्य पूर्ण की गयी. विचाराधीन वाद चक 1 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1, 10, 11 कुल 3.00 बीघा की खातेदारी घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया है किन्तु मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 2, 9, 12 का कोई विवाद नहीं है. आवेदनपत्र के तथ्यों का न तो जवाब वादपत्र में समावेश है एवं न ही साक्ष्य में ही समावेश है. एवं न ही इससे पूर्व ऐसा कोई अभिलेख जवाब वादपत्र के साथ अथवा विवाद्यकों से पूर्व अथवा विवाद्यकों के निर्धारण के पश्चात साक्ष्य के दौरान ही प्रस्तुत किया गया है. इसलिये वाद पत्रावली की वर्तमान अवस्था में प्रस्तुत अभिलेख को पत्रावली पर नहीं लिया जा सकता. अज्ञानता एवं कानून की जानकारी न होने के तथ्य अंकित किये गये हैं जो कि कानून की अज्ञानता का कोई बहाना नही है. कथित अभिलेख न तो

प्रकरण से सम्बन्धित है व न ही इसके आधार पर निर्णय ही किया जाना है. स्पष्ट रूप से विचाराधीन आवेदनपत्र प्रकरण को देरीना करने एवं विधि विरूद्व तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि विचाराधीन आवेदनपत्र प्रकरण को देरीना करने एवं विधि विरूद्व तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है., प्रतिवादी द्वारा जवाब वादपत्र में प्रतिरक्षा का आधार कथित अभिलेख को नहीं बनाया गया. एवं न ही अभिलेख प्रस्तुत ही किया गया है. इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की सूचि में भी अभिलेख का अंकन नही कया गया इसलिये आदेश 8 नियम 1(ए) व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अभिलेख पत्रावली पर नहीं लिये जा सकते. प्रस्तुत अभिलेख जवाब वादपत्र के साथ पूर्व में प्रस्तुत करने से किस कारण रह गये, पूर्व में उक्त अभिलेख उसके कब्जा में थे अथवा नही? जो दस्तावेज प्रतिवादी के कब्जा एवं पूर्ण जानकारी में थे, उन्हें वाद की वर्तमान स्तर पर कानून की अज्ञानता के कथन कर प्रस्तुत नही किया जा सकता. आवेदनपत्र के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत नही किया गया है इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 27 जून, 2018 द्वारा प्रतिवादी द्वारा यद्यपि जवाब वादपत्र में ऐसे अभिलेख का अंकन नहीं किया गया किन्तु साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र के बिन्दू सुख्या 3 में अंकित किया गया है कि उक्त डेढ बीघा के इन्तकाल के सम्बन्ध में दिनाक 09 अगस्त, 2009 को पंचायत द्वारा पक्षकारान का राजीनामा भी करवाया था जिस राजीनामा में यह बात तय की गयी थी कि प्रेमनाथ के वारिसान शेष रहे डेढ बीघा का इन्तकाल प्रतिवादी मोहनसिंह के नाम से दर्ज करवाने के पाबन्द होंगे. यहां तक कि जिरह में भी प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया है कि मेरे द्वारा शपथपत्र में 9 अगस्त, 2009 के जिस राजीनामा का विवरण वर्णित है उसकी कोई प्रति प्रस्तुत नही की है. इस प्रकार जिस अभिलेख का उल्लेख प्रमाणित शपथपत्र एवं जिरह में आ चुका है, किसी भी अनपढ व्यक्ति द्वारा उसे पत्रावली में प्रस्तुत नही किये जाने की त्रुटि सम्भावित है. ऐसी स्थिति में, आदेश 8 नियम 1 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अभिलेख पत्रावली पर लिये जाने स्वीकार किये गये तथा यदि वादी अथवा प्रतिवादी ऐसे अभिलेखों के परीक्षण के लिये अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा पुर्नजिरह करना चाहता है तो उसे न्यायहित में एक–एक अवसर दिया गया. जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. तदोपरान्त, प्रतिवादी द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिससे जिरह की गयी.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या वादपत्र के बिन्दु संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में स्व. श्री प्रेमनाथसिंह के नाम दर्ज थी. ....वादीगण

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2056 (प्रदर्श–3) के अनुसार खाता संख्या 25/24 मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 1 से 3, किला नम्बर 10 से 12 एवं किला नम्बर 18 से 23 कुल 3.035 हैक्टर कृषि भूमि श्री प्रेमनाथ व अन्य के नाम पर संयुक्त खातेदारी दर्ज है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 2 – क्या आवेदिका के पिता स्व. श्री प्रेमनाथ द्वारा मुरब्बा नम्बर 52 की कृषि भूमि का बेचान नहीं किया गया ?
>
> ....**वादीगण**

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 (प्रदर्श–5) के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है. तथा इसके अतिरिक्त मुरब्बा नम्बर 52 की कृषि भूमि के विक्रय की बाबत किसी भी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामतः यह तथ्य सिद्व होता है कि स्व. श्री प्रेमनाथ द्वारा मुरब्बा नम्बर 52 की कृषि भूमि का विक्रय नहीं किया गया है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 3 – क्या चक नम्बर 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11, 13(0.10), 14 से 25 कुल 15.10 बीघा के वादीगण खातेदार हैं.?
>
> .....**वादीगण**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2064–2067 प्रदर्श–1 के अनुसार चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 32/26 मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11, 13(0.10), 14 से 25 कुल 15.10 बीघा के वादीगण खातेदार हैं इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 4 – क्या चक नम्बर 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1,10,11 कुल 3.00 बीघा का नामान्तरकरण दिनांक 28 जून, 2000 को प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सही दर्ज किया गया है?
>
> ..**प्रतिवादी–1**

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 **प्रदर्श–5** के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है. किन्तु नामान्तरकरण पंजिका के क्रम संख्या 186 **प्रदर्श–4** के अनुसार, जिसे राजस्व अभियान, ग्राम कोठा में बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 के आधार पर श्री मोहनसिंह के नाम पर चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 किला नम्बर 1(0. 253), किला नम्बर 10(0.253) एवं किला नम्बर 11(0.253) कुल 0.759 हैक्टर दर्ज किया गया है, दस्तावेज बैयनामा **प्रदर्श–5** में वर्णित विक्रयाधीन कृषि भूमि से भिन्न होने के कारण नामान्तरकरण दिनांक 28 जून, 2000 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर गलत दर्ज किया गया है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (... ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 5 – क्या प्रतिवादी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 60/58 की 3.00 बीघा कृषि भूमि का विक्रय किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1, मुरब्बा नम्बर 60/58 के 3.00 बीघा का नामान्तरकरण करवाने का अधिकारी है.

...वादीगण

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है इसलिये नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 मात्र दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 के अनुसार कयाधीन कृषि भूमि का ही नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 5 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 6– क्या वादीगण नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 को वाद के माध्यम से चुनौती देकर निरस्त करवा पाने के अधिकारी हैं. ....वादीगण

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है इसलिये नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 मात्र दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 के अनुसार कयाधीन कृषि भूमि का ही नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवाने का अधिकारी है. तथा वादीगण दस्तावेज बैयनामा 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 में विकयाधीन कृषि भूमि से भिन्न त्रुटिपूर्ण दर्ज किये गये नामान्तरकरण दिनांक 186 दिनांक 28 जून, 2000 को निरस्त करवाने के अधिकारी हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 6 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 7 – क्या वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

.....वादीगण

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 के अनुसार दस्तावेज बैयनामा से भिन्न कृषि भूमि की बाबत दर्ज किया गया है ऐसी स्थिति में, वादीगण दस्तावेज बैयनामा से भिन्न अपनी खातेदारी कृषि भूमि जिसे त्रुटिपूर्ण नामान्तरित किया गया है, की बाबत प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं इस प्रकार विवाद्यक संख्या 7 वादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

विवाद्यक संख्या 8 – क्या नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28 जून, 2000 सही तस्दीक किया गया है?

...प्रतिवादी–1

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है किन्तु नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 28

जून, 2000 के अनुसार दस्तावेज बैयनामा से भिन्न कृषि भूमि की बाबत दर्ज किया गया है जो सही न होकर त्रुटिपूर्ण है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 8 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 9 – क्या प्रतिवादी संख्या 1 काउण्टर क्लेम में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

..प्रतिवादी–1

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के अनुसार भी दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है. तत्समय यदि राजस्व अभिलेखों में विक्रेता श्री प्रेमनाथ के नाम पर विक्रयाधीन 3.00 बीघा कृषि भूमि न होकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2056 के खाता संख्या 25/24 में 0.379 हैक्टर ही दर्ज था जिसका नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज किया गया. तथा शेष विक्रयाधीन कृषि भूमि की एवज में अन्य भूमि का त्रुटिपूर्ण किया गया नामान्तरकरण से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं. कार्यालय ग्राम पंचायत, कोठा (2 बी बड़ी) द्वारा जारी पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 (प्रदर्श–ए.1) के अनुसार श्री मोहनसिंह द्वारा मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10, 11 कुल तीन बीघा कृषि भूमि क्रय की गयी थी जिसमें से 1.10 बीघा का नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 3 जूलाई, 1999 संयुक्त खाता मुरब्बा नम्बर 48, 51, 53 एवं 58 में दर्ज किया जा चुका है. तथा 1.10 बीघा का नामान्तरकरण शेष है. नामान्तरकरण संख्या 186 में दर्ज नामान्तरकरण को निरसत करने के बयान श्री मोहनसिंह उपखण्ड दण्डनायक की न्यायालय में देने का पाबन्द होगा. क्योंकि मोहनसिंह ने कथन किया कि मुरब्बा नम्बर 52 में मेरी कोई भूमि नहीं है. मेरी भूमि केवल मुरब्बा नम्बर 60 जो कि वर्तमान 58 है, उसमें किला नम्बर 1, 10, 11 ही है जिसमें 1.10 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण करवाने के लिये स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ के वारिस करवाने के लिये पाबन्द होंगे. जिसकी एवज में श्री मोहनसिंह अनिल धींगड़ा को 25,000.00 तथा अन्य राशि 25,000.00 दिनांक 1 फरवरी, 2010 को अदा करने का पाबन्द है जिसकी एवज में एक चैक दिया जायेगा. जिसमें चैक एम.जी.बी.ग्रामीण बैंक, कोठा का चैक संख्या 15731 दिनांक 1 फरवरी, 2010 का अंकन उपलब्ध है.ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 के बाद आज करीब 36 वर्षो के बाद काउण्टरक्लेम की अपेक्षा पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 की पालना करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है. जिसकी पालना के लिये वादीगण पाबन्द हैं. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 9 प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 10 – क्या प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पति/पिता श्री प्रेमनाथ द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 7 जुलाई, 1980 की पालना में चक 1 बी बड़ी मुरब्बा नम्बर 60/58 किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल तीन बीघा जिसमें से 1½ बीघा का नामान्तरकरण दर्ज हो चुका है तथा शेष 1½ बीघा का नामान्तरकरण करवाकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं जिसके परिणामतः प्रतिवादी

संख्या 1 मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1,10 एवं 11 के नामान्तरकरण का परित्याग करने के लिये पाबन्द होंगे?

...प्रतिवादी–1

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है. किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम के बिन्दु संख्या 1 में अंकित किया गया है कि क्रयाधीन 3.00 बीघा कृषि भूमि में से 1.10 बीघा का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज किया जा चुका है. ऐसी कृषि भूमि जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय ही नही किया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर नामान्तरित की गयी है, पर प्रतिवादी संख्या 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. जिसके प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा परित्याग किये जाने का कोई प्रश्न ही विद्यमान नहीं है. किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा क्रयाधीन शेष 1.10 बीघा कृषि भूमि के कब्जा प्राप्त करने एवं अपने नाम पर नामान्तरकरण बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत, कोठा (2 बी बड़ी) द्वारा जारी पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 (प्रदर्श–ए.1) के परिदृश्य सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है. किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 विचाराधीन प्रकरण के माध्यम से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.

दस्तावेज बैयनामा दिनांक 7 जुलाई, 1980 प्रदर्श–5 के अनुसार श्री प्रेमनाथ द्वारा श्री मोहनसिंह को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 60 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का विक्रय किया गया है जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार 1.10 बीघा कृषि भूमि का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज किया जा चुका है. शेष 1.10 बीघा कृषि भूमि के कब्जा एवं नामान्तरकरण की बाबत कार्यालय ग्राम पंचायत, कोठा (2 बी बड़ी) द्वारा जारी पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 (प्रदर्श–ए.1) के परिदृश्य सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र है. चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर त्रुटिपूर्ण दर्ज नामान्तरकरण दिनांक 186 दिनांक 28 जून, 2000 को वादीगण निरस्त करवाने तथा खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा काउण्टर क्लेम कार्यालय ग्राम पंचायत, कोठा (2 बी बड़ी) द्वारा जारी पंचायती राजीनामा दिनांक 09 अगस्त, 2009 (प्रदर्श–ए.1) के परिदृश्य सक्षम न्यायालय में विधिनुसार कार्यवाही करने के निर्देश सहित निरस्त किया जाता है. चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर त्रुटिपूर्ण दर्ज नामान्तरकरण दिनांक 186 दिनांक 28 जून, 2000 को निरस्त किया जाकर वादीगण को चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 चक 1 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर

1, 10 एवं 11 कुल 3.00 बीघा कृषि भूमि को बंधक, विक्रय अथवा किसी भी प्रकार से अन्तरित करने से निषिद्य रहे. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय पक्षकारान के अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.